महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/105/2000-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा वर्तमान मात्रा छूट और रियायत व्यवस्थाएं समाप्त करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास के प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/105/2000-सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) --------------- आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 2003 के 22वें दिन पारित)

यह मामला वर्तमान मात्रा छूट और रियायत व्यवस्थाएँ समाप्त करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने अंतरिम योजना के रूप में मात्रा छूट पर सीओपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 5 जनवरी, 2001 को एक आदेश पारित किया था। उक्त आदेश में अनुमोदित मात्रा छूट योजना निम्नानुसार है :

(i) कंटेनर

पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रहस्तित अधिकतम संख्या से अधिक संख्या पर 500/- रुपए प्रति टीईयू की छूट।

(ii) **बल्क, ब्रेक बल्क और लीक्विड कार्गो**

कंटेनरयुक्त कार्गो और कच्चे पेट्रोलियम से इतर कोई कार्गो, जोकि पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान पत्तन में प्रहस्तित नहीं किया गया था, कोचीन पत्तन के माध्यम से आयातित/निर्यातित किया जाता है तो वह कार्गो उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक बंदरगाह शुल्क में 25% छूट के लिए हकदार होगा जिस वर्ष में पत्तन में यातायात प्रहस्तित किया जाता है।

2.2. सीओपीटी को अपने दरमान में अगले व्यापक संशोधन के लिए प्रस्ताव के साथ अधिक वैज्ञानिक मात्रा छूट योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

3.1. सीओपीटी ने अपने दरमान में सामान्य संशोधन के लिए पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसपर पृथक मामलों के रूप में कार्यवाही की जा रही है। सामान्य संशोधन प्रस्ताव में, सीओपीटी ने कोई वैज्ञानिक मात्रा छूट योजना प्रस्तावित नहीं की है।

3.2. वास्तव में, सीओपीटी ने दिनांक 26 मार्च, 2003 के अपने पत्र द्वारा मात्रा छूट योजना को 31 मार्च, 2003 से समाप्त करने के लिए पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात, सीओपीटी ने दिनांक 17 मई, 2003 के पत्र में मात्रा छूट योजना को समाप्त करने के मुख्य कारण स्पष्ट किए हैं। उनमें से कुछ मुख्य बातों का सार नीचे दिया गया है :

(i) यह योजना केवल एक बार की योजना थी जबकि इसके विपरीत अन्य सभी छूट योजनाओं की अंतिम तारीख विनिर्दिष्ट है। यह योजना पहले ही तीन वर्षों से कार्य कर रही है।

(ii) इस योजना से संभावित अधिकतम लाभ ले लिया गया है।

(iii) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना केवल एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में थी।

(iv) नए कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण - आरजीसीटी प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। निजी प्रचालक के विपणन प्रयासों के कारण कोचीन पत्तन में नए कार्गो/कंटेनर की बड़ी मात्रा जुटाई जा सकती है जिसके लिए इसे प्रोत्साहन देने हेतु विवश किया जाएगा। यह भी संभव है कि यह छूट योजना निजी प्रचालक पर बाध्यकारी नहीं।

(v) उपयोगकर्ताओं ने योजना में एक कमी का उल्लेख किया है। इसने वह सीमा रेखा विनिर्दिष्ट नहीं की है जिससे अधिक के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। एक सीमा रेखा अवश्य विनिर्दिष्ट की जाए क्योंकि एक बिन्दु से आगे मात्रा/संख्या में वृद्धि करना हमेशा संभव नहीं होता।

(vi) बल्क कार्गो के बंदरगाह शुल्क दर में निर्धारित छूट के मामले में, जोखिम है कि यही कार्गो प्रत्येक तीसरे वर्ष प्रोत्साहन का पात्र हो जाएगा और इस तरह यह कार्गो मात्रा में बिना किसी वास्तविक वृद्धि के पत्तन की निधियों के अनावश्यक निर्गम का कारण बन रहा है। इसमें इसी कार्गो की विभिन्न श्रेणियों अथवा वर्गों का जोखिम भी है जिनके अन्तर्गत इसे नए कार्गो के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है।

3.3. उपर्युक्त के मद्देनज़र, इसने वर्तमान मात्रा छूट योजना/प्रोत्साहन योजना को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 31 मार्च, 2003 से समाप्त करने का प्रस्ताव किया है।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रियानुसार, सीओपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

5. उपयोगकर्ताओं की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में, सीओपीटी ने अपने तर्क भेजे हैं। सीओपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) यह योजना केवल आरजीसीटी के भावी निजीकरण के कारण वापस नहीं ली जा रही है, अपितु यदि इस योजना को लगातार तीन वर्षों से अधिक जारी रखा जाता है तो यह पत्तन के लिए भी हानिकारक हो सकती है।

(ii) ग्राहकों, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में व्यवसाय देने वालों ने इस योजना के अधीन लगातार दो वर्षों के लिए छूट देने हेतु आवेदन किया है क्योंकि वे एक विशेष बिन्दु से आगे मात्रा को बढ़ाने में समर्थ नहीं हैं।

(iii) एक बार की योजना के रूप में विभिन्न ग्राहकों की राय को ध्यान में रखने के पश्चात भविष्य में जब कभी आवश्यकता होगी संशोधित योजना को पुनः शुरू किया जा सकेगा।

6. इस मामले की संयुक्त सुनवाई दिनांक 6 अगस्त, 2003 को सीओपीटी परिसर में हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, सीओपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

7. तर्कों और उपयोगकर्ताओं के अनुरोध, सीओपीटी को उपयोगकर्ता संगठनों के साथ आगे की चर्चा करने और अपना अंतिम मत 20 अगस्त, 2003 तक भिजवाने की सलाह दी गई थी। अनुस्मारक भेजने के बावजूद अभी तक सीओपीटी से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

8. इस प्रकरण में विचार-विमर्श संबंधी कार्यवाहियाँ इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध हैं।

9. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :

(i) वर्तमान मात्रा छूट योजना सीओपीटी के अनुरोध पर इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई है। चूंकि इस प्राधिकरण ने महसूस किया कि यह योजना बहुत वैज्ञानिक ढंग से नहीं बनाई गई थी, इसलिए यह योजना अंतरिम व्यवस्था के रूप में ही अनुमोदित की गई थी। इस प्राधिकरण ने यह भी उल्लेख किया था कि वर्तमान कार्गो को बनाए रखने के लिए इस अंतरिम योजना ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था। वास्तविकता यह है कि अंतरिम योजना नए कार्गो के लिए केवल एक प्रशुल्क प्रोत्साहन योजना है न कि मात्रा छूट योजना।

(ii) जैसाकि सीओपीटी द्वारा उल्लेख किया गया है, किसी भी प्रशुल्क प्रोत्साहन योजना को अनिश्चितकाल तक नहीं चलाया जा सकता। पत्तन का यह वाणिज्यिक निर्णय है कि ऐसी प्रोत्साहन योजना को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। पत्तन द्वारा अपने निर्णय के समर्थन में दिए गए कारण स्वीकृति योग्य पाए गए हैं। पत्तन ने यह भी उल्लेख किया है कि इस योजना के प्रचालन के कारण उसे मात्रा में और अधिक वृद्धि नजर न आए क्योंकि पोतवणिक एक क्षमता सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए, यह बाद में कभी कोई अन्य योजना तैयार करेगा।

(iii) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि यह प्राधिकरण यह घोषणा करते हुए कि दरमान में निर्धारित दरें केवल उच्चतम दरों के रूप में काम करेंगी, पहले ही संयुक्त रूप से अपनाया जाने वाला आदेश पारित कर चुका है। इस उपलब्ध अधिकार के कारण, सीओपीटी अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, जहां कहीं आवश्यक हो, अधिसूचित दरें कम कर सकता है। इस दृष्टिकोण से भी देखने पर, एक पृथक प्रशुल्क प्रोत्साहन योजना, जिससे कोई अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, पत्तन पर थोपने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) सीओपीटी ने उल्लेख किया है कि कंटेनरों पर मात्रा छूट योजना 31 मार्च, 2003 से समाप्त कर दी गई है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि छूट देने के प्रयोजन से, 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष की गणना की गई है। इस निर्धारण के मद्देनजर, मात्रा छूट योजना को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 31 मार्च, 2003 से वापस लेने का सीओपीटी का प्रस्ताव सही है और इसलिए इसे स्वीकार किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण दिनांक 5 जनवरी, 2001 के आदेश द्वारा अनुमोदित मात्रा छूट योजना को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 1 अप्रैल, 2003 से वापस लेने का सीओपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2003-असा.]